

Uttarakhand Power Corporation Ltd
(A Govt. of Uttarakhand Undertaking)
Urja Bhawan, Kanwall Road
Dehradun-248001
Phone : 91-135-2763672-73 FAX: 91-135-2769771



उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
ऊर्जा भवन, कांवली
देहरादून - 248001
दूरभाष : 2763672-73, फैक्स 81-135-2769771

संख्या : 6303 -नि०(मा०सं०)/उपाकालि/समयबद्ध वेतनमान.

दिनांक : 15 जुलाई, 2013

कार्यालय ज्ञापन

उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर दिनांक 01-01-2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना लागू किये जाने विषयक शासनादेश संख्या 632/1/2009-05-90/TC/2008, दिनांक 02-03-2009 एवं शासनादेश संख्या 430/1(2)/2009-05-90/TC/2008, दि. 19-03-2009 राषट्रित कारपोरेशन के ज्ञापक 1111-निदे०(मा०सं०)/उपाकालि/का०अनु०-ए.दि.23-03-2009 में निहित अनुदेशों व कारपोरेशन के निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव एवं पारित निर्णय के अनुसार, छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप उत्तराखण्ड राज्य में ऊर्जा के नियन्त्रणाधीन तीनों निगमों के कर्मिकों को समयबद्ध वेतनमान की अनुमन्यता विषयक शासनादेश संख्या 211/1/2013-05-90/TC/2008, दिनांक 20-02-2013 तथा शासनादेश संख्या 1014/1/2013-05-90/TC/2008, दिनांक 14-06-2013 द्वारा, ऊर्जा निगमों के कर्मिकों के लिये समयबद्ध वेतनमानों की सुविधा 09 वर्ष, 14 वर्ष एवं 19 वर्ष के अन्तराल पर अनुमन्य करते हुए वित्तीय स्तरान्वयन, तत्सम्बन्धी पे-बैंड, ग्रेड पे संगत वेतन निर्धारण पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य किये जाने हेतु प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड के समस्त कर्मिकों के लिये एतद्वारा निम्नवत् प्रक्रिया लागू की जाती है :-

उक्त नई व्यवस्था पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 01 अप्रैल, 2009 से प्रभावी होगी। दि. 31 मार्च, 2009 तक, पुनरीक्षित वेतन संरचना में, सभी वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन के पदधारकों हेतु समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था ही लागू रही है।

2- (1) ए०सी०पी० के अन्तर्गत सीधी भर्ती के किसी पद पर प्रथम नियमित नियुक्ति की तिथि से 09 वर्ष, 14 वर्ष एवं 19 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा के आधार पर तीन वित्तीय स्तरान्वयन निम्न प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य किये जायेंगे :-

(क) प्रथम वित्तीय स्तरान्वयन सीधी भर्ती के पद के वेतनमान/सादृश्य ग्रेड वेतन में 09 वर्ष की नियमित सेवा निरन्तर संतोषजनक रूप से पूर्ण कर लेने पर देय होगा,

परन्तु, किसी पद का वेतनमान/ग्रेड वेतन किसी समय उच्चीकृत होने की स्थिति में वित्तीय स्तरान्वयन की अनुमन्यता हेतु सेवावधि की गणना में पूर्ण वेतनमान/ग्रेड वेतन तथा उच्चीकृत वेतनमान/ग्रेड वेतन में की गई सेवाओं को जोड़कर उच्चीकृत ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा।

(ख) प्रथम वित्तीय स्तरान्वयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 05 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने पर द्वितीय वित्तीय स्तरान्वयन देय होगा। इसी प्रकार द्वितीय वित्तीय स्तरान्वयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 05 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने पर तृतीय वित्तीय स्तरान्वयन अनुमन्य होगा।

परन्तु,

यदि सम्बन्धित कर्मिक को प्रोन्नति, प्रथम वित्तीय स्तरान्वयन के पूर्व अथवा उसके पश्चात् प्राप्त हो जाती है तो, प्रोन्नति की तिथि से 05 (पांच) वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर ही प्रोन्नति के पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन द्वितीय वित्तीय स्तरान्वयन के रूप में अनुमन्य होगा। सम्बन्धित पद पर रहते हुए उक्तानुसार द्वितीय वित्तीय स्तरान्वयन अनुमन्य होने की तिथि से 05 वर्ष की सेवा पूर्ण करने अथवा कुल 19 (उन्नीस) वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, से तृतीय वित्तीय स्तरान्वयन का लाभ अनुमन्य होगा।

क्रमशः पृष्ठ 02 :-

(II) किसी पद पर नॉन फंक्शनल वेतनमान/ग्रेड वेतन मिलने पर ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभों की अनुमन्यता हेतु नॉन फंक्शनल वेतनमान/ग्रेड वेतन को वित्तीय स्तरान्वयन माना जायेगा। ए०सी०पी० के अन्तर्गत अगले लाभ के रूप में नॉन फंक्शनल वेतनमान/सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा।

(III) उपर्युक्तानुसार अनुमन्य कराये जाने वाले तीन स्तरान्वयन दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में ही अनुमन्य होंगे।

(IV) संतोषजनक सेवा पूर्ण न होने के कारण यदि किसी कर्मिक को वित्तीय स्तरान्वयन विलम्ब से प्राप्त होता है तो उसका प्रभाव आने वाले अगले वित्तीय स्तरान्वयन पर भी पड़ेगा। अर्थात् अगले वित्तीय स्तरान्वयन की अनुमन्यता हेतु निर्धारित अवधि की गणना पूर्व वित्तीय स्तरान्वयन के प्राप्त होने की तिथि से ही की जायेगी।

(V) ए०सी०पी० की व्यवस्था लागू हो जाने के पश्चात् सीधी भर्ती के किसी पद पर प्रथम नियुक्ति के पश्चात् संवर्ग में प्रथम पदोन्नति होने के उपरान्त केवल द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरान्वयन तथा द्वितीय पदोन्नति प्राप्त होने के उपरान्त तृतीय वित्तीय स्तरान्वयन का लाभ ही देय रह जायेगा। तीसरी पदोन्नति प्राप्त होने की तिथि के पश्चात् किसी भी दशा में वित्तीय स्तरान्वयन का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। इसी अनुक्रम में यह भी व्यवस्था की गई है कि दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में एक ही संवर्ग में यदि समान ग्रेड वेतन वाले पद पर पदोन्नति हुई है, तो उसे भी वित्तीय स्तरान्वयन की अनुमन्यता हेतु पदोन्नति माना जायेगा।

परन्तु,

उपरोक्तानुसार पदोन्नति प्राप्त वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन ए०सी०पी० की व्यवस्था से लाभान्वित किसी कनिष्ठ कर्मिक से कम होने की दशा में वरिष्ठ कर्मिक का वेतन कनिष्ठ कर्मिक के बराबर कर दिया जायेगा।

(VI) ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरान्वयन हेतु नियमित संतोषजनक सेवा की गणना में, एक ही संवर्ग में एवं एक ही ग्रेड वेतन में, तत्कालीन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्/उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड/पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन आफ़ उत्तराखण्ड लिमिटेड में की गई सेवाओं की गणना की जायेगी।

(VII) ए०सी०पी० व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरान्वयन हेतु किसी पद पर की गई परिवीक्षा अवधि/प्रशिक्षण अवधि के रूप में पूर्ण की गई संतोषजनक सेवा के साथ-साथ प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा/इन सेवाओं का तात्पर्य उस सेवा से है जो परिषद्/कारपोरेशन/निगम की सेवा में आने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से अन्य विभागों यथा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों या विदेश में स्थित किसी संस्थान में की गई हो एवं इस प्रकार सेवारत रहते हुए कर्मिक विशेष की परिषदीय/कारपोरेशन/निगमीय सेवा की निरन्तरता में व्यवधान न हुआ हो, अध्ययन अवकाश तथा सक्षम स्तर से स्वीकृत सभी प्रकार के अवकाश को सम्मिलित किया जायेगा।

(VIII) केन्द्र सरकार/स्थानीय निकाय/स्वशासी संस्था/अन्य सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम में की गई पूर्व सेवा को वित्तीय स्तरान्वयन के लिये गणना में नहीं लिया जायेगा।

(IX) किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा उसके तत्कालीन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्/कारपोरेशन/निगम की सेवा में आने से पूर्व किसी अन्य विभाग यथा भारत सरकार/राज्य सरकारों अथवा उनके नियन्त्रणाधीन अन्य सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों आदि में की गई सेवाओं को मात्र पेंशनरी लाभ के निमित्त आगणित किये जाने के सन्दर्भ में पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के आदेश संख्या 2305-पेंशन-31/राविप-95/46-पी/89, दिनांक 27-10-1995 में निहित प्राविधानानुसार गणना की जायेगी।

3- समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के सम्यन्ध में समय-समय पर निर्गत निगमादेश द्वारा की गयी व्यवस्था एवं जारी निर्देश दिनांक 31 मार्च, 2009 तक पुनरीक्षित वेतन संरचना में भी, यथावत् लागू रहेंगे।

अगस्त 03



-03-

पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 31 मार्च 2009 तक लागू समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभ निम्नानुसार अनुमन्य कराये जायेंगे -

(क) (i) 9 वर्ष, 14 वर्ष एवं 19 वर्ष की सेवा के आधार पर क्रमशः प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में देय वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होने पर अनुमन्यता की तिथि को सम्बन्धित कार्मिक का वेतन प्रोन्नतीय/ अगले वेतनमान के रूप में देय ग्रेड वेतन अनुमन्य करते हुये निर्धारित किया जायेगा और बैंड वेतन अपरिवर्तित रहेगा। उक्तानुसार निर्धारित बैंड वेतन यदि उस ग्रेड वेतन में सीधी भर्ती हेतु निर्धारित न्यूनतम बैंड वेतन से कम होता है तो सम्बन्धित पदधारक का बैंड वेतन उस सीमा तक बढ़ा दिया जायेगा।

(ii) प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रोन्नतीय/ अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन में सम्बन्धित पद धारक को अगली वेतन वृद्धि न्यूनतम छः माह की अवधि के उपरान्त पडने वाली पहली जनवरी/जुलाई को ही देय होगी।

परन्तु,

प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रोन्नतीय/ अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन में अगले पहली जनवरी/जुलाई को किसी अधिकारी/कर्मचारी का मूल वेतन उसे यथा स्थिति पद के वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन अथवा प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन में निर्धारित मूल वेतन की तुलना में कम या बराबर हो जाये, तो यथा स्थिति प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान अथवा तृतीय प्रोन्नतीय /अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन में एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि स्वीकृत करते हुये मूल वेतन पुनर्निर्धारित किया जायेगा।

(iii) समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान अथवा समयमान वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य होने के उपरान्त सम्बन्धित कर्मचारी की पदोन्नति उक्तानुसार प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान अथवा समयमान वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड के रूप में अनुमन्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन के पद पर होने की स्थिति में सम्बन्धित कार्मिक का वेतन निर्धारण 3 प्रतिशत की दर से एक वेतनवृद्धि देते हुये किया जायेगा। सम्बन्धित कर्मचारी को अगली सामान्य वेतनवृद्धि अगली पहली जनवरी/जुलाई को देय होगी।

(ख) संवर्ग में वरिष्ठ कार्मिक को समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभ अपुनरीक्षित वेतनमानों में अनुमन्य होने तथा कनिष्ठ कार्मिक को वही लाभ पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य होने के फलस्वरूप यदि वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ की तुलना में कम हो जाता है तो सम्बन्धित तिथि को वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ को अनुमन्य वेतन के बराबर निर्धारित कर दिया जायेगा।

(ग) ऐसे मामलों में जहां किसी कारणवश प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य सादृश्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन में परिवर्तन होता है तो समयमान वेतनमान व्यवस्था के अधीन प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान भी तदनुसार परिवर्तित रूप में ही अनुमन्य होगा।

परन्तु,

उक्त परिवर्तन के फलस्वरूप यदि प्रोन्नतीय अगले वेतनमान उच्चीकृत होता है तो ऐसे उच्चीकरण की तिथि से उच्च प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा। समयमान वेतनमान की व्यवस्था में पूर्व से अनुमन्य प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान का संशोधन भी तदनुसार किया जायेगा। प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान निम्नीकृत होने की दशा में पूर्व से अनुमन्य प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन यथावत अनुमन्य रहेगा।

अंक पृष्ठ 04 :-

4- निर्धारित सेवावधि पर वित्तीय स्तरान्तरण के रूप में अनुमन्य होने वाला ग्रेड वेतन जापांक 1111-निर्दे 0 (मा0सं0)/उपाकति/का0अनु0-ए.दिनांक 23-03-2009 तथा तत्क्रम में जारी अन्य आदेशों में उल्लिखित दरों के अनुसार अनुमन्यता की तिथि से, पूर्व देय ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन होगा। इस प्रकार किसी पद पर वित्तीय स्तरान्तरण के रूप में प्राप्त होने वाला ग्रेड वेतन कुछ मामलों में सम्बन्धित पद तथा उसके पदोन्नति के पद के ग्रेड वेतन के मध्य का ग्रेड वेतन हो सकता है। ऐसे मामलों में सम्बन्धित पदधारक को पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन उसे वास्तविक रूप से पदोन्नति प्राप्त होने पर ही अनुमन्य होगा।

5- वित्तीय स्तरान्तरण का लाभ अनुमन्य होने के आधार पर सम्बन्धित कर्मचारी के पदनाम, श्रेणी अथवा प्रास्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किन्तु मूल वेतन के आधार पर देय वित्तीय एवं सेवानैवृत्तिक तथा अन्य लाभ सम्बन्धित कार्मिक को वित्तीय स्तरान्तरण के फलस्वरूप निर्धारित मूल वेतन के आधार पर अनुमन्य होंगे।

6- यदि किसी कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही/दण्डन कार्यवाही प्रचलन में हो तो ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत स्तरान्तरण के लाभ की अनुमन्यता उन्हीं नियमों से शासित होगी, जिन नियमों के अधीन उपर्युक्त परिस्थितियों में सामान्य प्रोन्नति की व्यवस्था शासित होती है। अतः ऐसे मामले सरकारी सेवक कर्मचारी एवं अधिकारी आचरण नियमावली 1956(यथासंशोधित) एवं उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली -1999 (कारपोरेशन में यथा अंगीकृत) के सुसंगत प्राविधानों एवं तत्क्रम में जारी निर्देशों से विनियमित होंगे।

7- इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त वित्तीय स्तरान्तरण पूर्णतः वैयक्तिक है एवं इसका कार्मिक की वरिष्ठता से कोई सम्बन्ध नहीं है। कोई कनिष्ठ कर्मचारी इस व्यवस्था के अन्तर्गत उच्च वेतन/ग्रेड वेतन प्राप्त करता है, तो वरिष्ठ कार्मिक इस आधार पर उच्च वेतन/ग्रेड वेतन की मांग नहीं कर सकेगा कि उससे कनिष्ठ कार्मिक को अधिक वेतन/ग्रेड वेतन प्राप्त हो रहा है।

8- यदि कोई कार्मिक किसी वित्तीय स्तरान्तरण की अनुमन्यता हेतु अर्ह होने के पूर्व ही उसे दी जा रही नियमित पदोन्नति लेने से मना करता है तो उस कार्मिक को अनुमन्य उस वित्तीय स्तरान्तरण का लाभ नहीं दिया जायेगा। यदि वित्तीय स्तरान्तरण अनुमन्य कराये जाने के पश्चात् सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियमित प्रोन्नति लेने से मना किया जाता है तो उसे अनुमन्य किया गया वित्तीय स्तरान्तरण वापस नहीं किया जायेगा। तथापि ऐसे कार्मिक को अगले वित्तीय स्तरान्तरण की अनुमन्यता हेतु तब तक अर्हता के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि वह प्रोन्नति लेने हेतु सहमत न हो जाये। उक्त स्थिति में अगले वित्तीय स्तरान्तरण की देयता हेतु समयावधि की गणना में, पदोन्नति लेने से मना करने तथा पदोन्नति हेतु सहमति दिये जाने के मध्य की अवधि को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

9- ऐसे कार्मिक जो उच्च पदों पर कार्यरत हैं और उन्हें निम्न पद के आधार पर देय वित्तीय स्तरान्तरण उच्च पद पर मिल रहे ग्रेड वेतन के समान अथवा निम्न है, तो निम्न पद के आधार पर देय वित्तीय स्तरान्तरण का लाभ उच्च पद पर कार्यरत रहने की अवधि तक अनुमन्य नहीं होगा। परन्तु सम्बन्धित कार्मिक के निम्न पद पर आने पर उक्त लाभ देयता की तिथि से काल्पनिक आधार पर अनुमन्य कराते हुए उसका वास्तविक लाभ उसके निम्न पद पर आने की तिथि से अनुमन्य होगा। यदि निम्न पद के आधार पर देय वित्तीय स्तरान्तरण उच्च पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन से उच्च है तो सम्बन्धित वित्तीय स्तरान्तरण का लाभ देयता की तिथि से ही अनुमन्य होगा।

10- प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण पर कार्यरत कार्मिकों को ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरान्तरण प्राप्त करने हेतु अपने पैतृक विभाग के मूल पद के आधार पर ए0सी0पी0 के अन्तर्गत देय वेतन बैंड में वेतन एवं ग्रेड वेतन अथवा प्रतिनियुक्ति/ सेवा स्थानान्तरण के वर्तमान पद पर अनुमन्य हो रहे बैंड वेतन एवं ग्रेड वेतन, जो भी लाभप्रद हो, को चुनने का विकल्प होगा।

उत्तर पृष्ठ 05 :-

-05-

11- पूर्व में लागू समयबद्ध वेतनमान की व्यवस्था तथा ए०सी०पी० की उपरोक्त नई व्यवस्था के अन्तर्गत एक ही संवर्ग में अनुमन्य कराये गये समयबद्ध वेतनमान/ वित्तीय स्तरानुयन में सम्भावित किसी अन्तर की विसंगति नहीं माना जायेगा।

12- पुनरीक्षित वेतन संरचना में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन(ए०सी०पी०) लागू होने की तिथि 01-04-2009 को यदि कोई कार्मिक धारित पद के साधारण वेतनमान में है और उसे संबंधित पद पर समयबद्ध वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत कोई लाभ अनुमन्य नहीं हुआ हो, तो ए०सी०पी० की नई व्यवस्था में लाभ अनुमन्य किये जाने हेतु अर्हकारी सेवा अवधि की गणना संबंधित कार्मिक के उक्त धारित पद के संदर्भ में की जायेगी और ए०सी०पी० के अन्तर्गत देय सभी लाभ उक्त आधार पर देय होंगे।

13- ऐसे कार्मिक जो दिनांक 01-04-2009 को समयबद्ध वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत कोई समयबद्ध वेतनमान/ लाभ वैयक्तिक रूप से प्राप्त कर रहे हैं, तो ऐसे कार्मिकों को ए०सी०पी० की नई व्यवस्था में लाभ अनुमन्य किये जाने हेतु अर्हकारी सेवा अवधि की गणना संबंधित कार्मिक को अनुमन्य समयबद्ध वेतनमान/लाभ जिस पद के संदर्भ में अनुमन्य किया गया है, उसी पद के संदर्भ में की जायेगी। उक्त श्रेणी के कर्मचारियों को ए०सी०पी० की नई व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभ दिनांक 01अप्रैल, 2009 अथवा उसके पश्चात् निम्नानुसार अनुमन्य होंगे :-

(क) जिन्हें 09 वर्ष की सेवा के आधार पर प्रथम प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान समयबद्ध वेतनमान के रूप में अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें उपर्युक्त लाभ अनुमन्य होने की तिथि से न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा सहित कुल 14 (चौदह) वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि से द्वितीय वित्तीय स्तरानुयन अनुमन्य होगा। उक्त तिथि को सम्बन्धित कार्मिक को पूर्व से अनुमन्य प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा।

(ख) जिन्हें 14 वर्ष की सेवा के उपरान्त द्वितीय प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें उक्त लाभ अनुमन्य होने की तिथि से न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा सहित कुल 19(उन्नीस) वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि से तृतीय वित्तीय स्तरानुयन अनुमन्य होगा। उक्त तिथि को सम्बन्धित कार्मिक को पूर्व से अनुमन्य द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा।

परन्तु,

दिनांक 01अप्रैल, 2009 के पूर्व प्राप्त पदोन्नति अथवा समयबद्ध वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत अनुमन्य प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन, पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतनमानों के संविलियन/ पदों के उच्चीकरण के फलस्वरूप सम्बन्धित पद के साधारण ग्रेड वेतन के समान हो जाने की स्थिति में ऐसी पदोन्नति अथवा प्रोन्नतीय वेतनमान/अगले वेतनमान को ए०सी०पी० की व्यवस्था का लाभ देते समय संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।

14- वित्तीय स्तरानुयन अनुमन्य होने पर वेतन निर्धारण निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। प्रतिबन्ध यह होगा कि वित्तीय स्तरानुयन अनुमन्य होने के पश्चात् यदि सम्बन्धित कार्मिक की उसी ग्रेड वेतन, जो वित्तीय स्तरानुयन के रूप में अनुमन्य हुआ है, में नियमित पदोन्नति होने पर कोई वेतन निर्धारण नहीं किया जायेगा, परन्तु यदि पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन वित्तीय स्तरानुयन के रूप में प्राप्त ग्रेड वेतन से उच्च है, तो बैंड वेतन अपरिवर्तित रहेगा और संबंधित कार्मिक को पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन देय होगा :-

पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रभावी ए०सी०पी० की व्यवस्थानुसार वित्तीय स्तरानुयन अनुमन्य होने पर सम्बन्धित कार्मिक का वेतन वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम 22-बी(1) के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। सम्बन्धित कार्मिक को ए०सी०पी० के अन्तर्गत वित्तीय स्तरानुयन अनुमन्य होने पर वित्तीय नियम-23(1) के अन्तर्गत यह विकल्प होगा कि वह वित्तीय स्तरानुयन अनुमन्य होने की तिथि अथवा अगली वेतन वृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण करवा सकता है।

कमल पृष्ठ 08 :-

3

पुनरीक्षित वेतन सरचना में वेतन निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा :-

(1) यदि सम्बन्धित कार्मिक वित्तीय स्तरान्तरण अनुमन्य होने पर निम्न ग्रेड वेतन की वेतन वृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण हेतु विकल्प देता है तो वित्तीय स्तरान्तरण अनुमन्य होने की तिथि को वर्तमान वेतन बैंड में वेतन अपरिवर्तित रहेगा, किन्तु वित्तीय स्तरान्तरण के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन देय होगा। अगली वेतन वृद्धि की तिथि अर्थात् 01 जनवरी/01 जुलाई को वेतन पुनर्निर्धारित होगा। इस तिथि को सम्बन्धित सेवक को दो वेतन वृद्धियाँ, एक वार्षिक वेतन वृद्धि तथा दूसरी वेतन वृद्धि वित्तीय स्तरान्तरण के फलस्वरूप देय होगी। इन दोनों वेतन वृद्धियों की गणना वित्तीय स्तरान्तरण अनुमन्य होने की तिथि के पूर्व के मूल वेतन के आधार पर की जायेगी। उदाहरणस्वरूप, यदि वित्तीय स्तरान्तरण के अनुमन्य होने की तिथि से पूर्व मूल वेतन ₹ 100.00 था, तो प्रथम वेतन वृद्धि की गणना ₹ 100.00 पर तथा द्वितीय वेतन वृद्धि की गणना ₹ 103.00 पर की जायेगी।

(2) यदि संबंधित कार्मिक वित्तीय स्तरान्तरण अनुमन्य होने की तिथि से वेतन निर्धारण हेतु विकल्प देता है, तो वित्तीय स्तरान्तरण के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में उसका वेतन निम्नानुसार निर्धारित किया जायेगा :-

वर्तमान वेतन बैंड में वेतन तथा वर्तमान ग्रेड वेतन के योग की 03 प्रतिशत धनराशि को अगले 10 में पूर्णांकित करते हुए एक वेतनवृद्धि के रूप में आगणित किया जायेगा। तदनुसार आगणित वेतनवृद्धि की धनराशि वेतन बैंड में प्राप्त वर्तमान वेतन में जोड़ी जायेगी। इस प्रकार प्राप्त धनराशि वित्तीय स्तरान्तरण के रूप में अनुमन्य वेतन बैंड में वेतन होगा, जिसके साथ वित्तीय स्तरान्तरण के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन देय होगा। जहाँ वित्तीय स्तरान्तरण के रूप में अनुमन्य वेतन बैंड में परिवर्तन हुआ हो वहाँ भी इस पद्धति का पालन किया जायेगा तथापि वेतनवृद्धि जोड़ने के बाद भी जहाँ वेतन बैंड में आगणित वेतन वित्तीय स्तरान्तरण के रूप में अनुमन्य उच्च वेतन बैंड के न्यूनतम से कम हो, तो तदनुसार आगणित वेतन को उक्त वेतन बैंड में न्यूनतम के बराबर तक बढ़ा दिया जायेगा।

नोट :- यदि संबंधित कार्मिक को वित्तीय स्तरान्तरण किसी वर्ष में दिनांक 02 जुलाई से 01 जनवरी तक अनुमन्य हुआ है तो उसे अगली वेतनवृद्धि अनुवर्ती 01 जुलाई को देय होगी।

उदाहरण - किसी कार्मिक को वित्तीय स्तरान्तरण यदि 02 जुलाई 2009 से 01 जनवरी, 2010 तक अनुमन्य हुआ है तो उसे अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2010 को देय होगी।

यदि वित्तीय स्तरान्तरण किसी वर्ष में 02 जनवरी से 30 जून तक अनुमन्य हुआ है तो उसे अगली वेतनवृद्धि अगले वर्ष की पहली जनवरी को देय होगी।

उदाहरण - किसी कार्मिक को वित्तीय स्तरान्तरण यदि 02 जनवरी, 2009 से 30 जून, 2009 तक अनुमन्य हुआ है, तो उसे अगली वेतनवृद्धि 01 जनवरी, 2010 को देय होगी।

15- समयबद्ध वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के स्थान पर ए०सी०पी० की उपरोक्त व्यवस्था लागू किये जाने के फलस्वरूप वित्तीय स्तरान्तरण की अनुमन्यता हेतु सम्बन्धित कार्मिकों की पात्रता एवं उपयुक्तता कारपोरेशन/निगम में प्रवृत्त पूर्ववर्ती परिषदादेश संख्या 1598-पी/राविप-तीस-4पी/1986, दिनांक 31-08-1989 एवं तत्क्रम में समय-समय पर जारी रांगत आदेशों में निर्धारित किये गये मापदण्डों के अनुसार व्यवहृत होगी।

16- वित्तीय स्तरान्तरण की स्वीकृति दिये जाने हेतु पूर्व आदेशों द्वारा गठित सक्षम समितियाँ यथावत् अधिकृत रहेंगी एवं प्ररगत समितियाँ सम्बन्धित प्रकरणों पर विचार किये जाने हेतु सामान्यतः प्रत्येक वर्ष के माह जनवरी तथा जुलाई में दो बैठकें आयोजित करेंगी। माह जनवरी में होने वाली बैठक में पूर्ववर्ती माह जून तक के मामलों पर विचार किया जायेगा। इसी प्रकार माह जुलाई में होने वाली बैठक में पूर्ववर्ती माह दिसम्बर तक के मामलों पर विचार किया जायेगा।

17- उक्त समितियाँ द्वारा अपनी संस्तुतियाँ बैठक की तिथि से 15 दिन की अवधि में संबंधित नियुक्ति प्राधिकारियों/वित्तीय स्तरान्तरण स्वीकृति करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जायेंगी।

अथक पृष्ठ 01:-



-07-

- 18- ए0सी0पी0 व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन की स्वीकृति के लिए विभिन्न संवर्गों के नियुक्त प्राधिकारी ही सक्षम होंगे और उसकी सामान्य प्रक्रिया वही रहेगी, जो प्रोन्नति के अवसर पर अपनाई जाती है।
- 19- वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमत्य कराये जाने संबंधी वेतन निर्धारण एवं विलो का सत्यापन संबंधित उप महाप्रबन्धक(वित्त) केन्द्रीय लेखा कार्यालय/क्षेत्रीय उप मुख्य लेखाधिकारी से कराना आवश्यक होगा।
- 20- ए0सी0पी0 की उपरोक्त व्यवस्था के संदर्भ में कारपोरेशन के ज्ञापांक 1111-निदे0(मा0स0)/उपाकालि/का0 अनु0-ए.दिनांक 23-03-2009 य तत्क्रम में जारी अन्य आदेशों के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने के सम्बन्ध में दिये गये विकल्प के स्थान पर संशोधित विकल्प इस आदेश के जारी होने की तिथि से 90 दिन के अंदर प्रस्तुत किया जा सकेगा।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या : 6303 -नि०(मा०सं०) / उपाकालि / समयबद्ध वेतनमान, तददिनांक, 15 जुलाई, 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव(ऊर्जा) एवं अध्यक्ष, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, सचिवालय, देहरादून ।
- 2- अपर सचिव(ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, सुभाष मार्ग देहरादून को परिपत्रांक 1014/1 / 2013-05-90 / TC / 2008, दिनांक 14-06-2013 के सन्दर्भ में ।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, ऊर्जा भवन, देहरादून ।
- 4- समस्त निदेशक, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, ऊर्जा भवन, देहरादून ।
- 5- निदेशक(वित्त) उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, ऊर्जा भवन, देहरादून को उनके पत्रांक 173उ०पा०का०लि० / पीएडपी-11, दिनांक 12-07-2013 द्वारा प्रदत्त सहमति के सन्दर्भ में ।
- 6- मुख्य संयोजक, उत्तराखण्ड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा, 18-ई०सी०रोड, देहरादून ।
- 7- समस्त मुख्य अभियन्ता(स्तर-1) / मुख्य अभियन्ता(स्तर-2) / अधीक्षण अभियन्ता, उ०पा०का०लि० ।
- 8- कम्पनी सचिव एवं उप महाप्रबन्धक(विधिक), उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, ऊर्जा भवन, देहरादून ।
- 9- महाप्रबन्धक(वित्त) उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, ऊर्जा भवन, देहरादून ।
- 10- उप महाप्रबन्धक(वित्त) के०ले०का० / वितरण / आन्तरिक सम्प्रेषण, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड ।
- 11- उप महाप्रबन्धक(आई.आर.एंड ई.एम.) उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, ऊर्जा भवन, देहरादून ।
- 12- अधिशासी अभियन्ता(मा०सं०) एवं लोक सूचनाधिकारी(मा०सं०) उ०पा०का०लि०, ऊर्जा भवन, देहरादून ।
- 13- अधिशासी अभियन्ता, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, ऊर्जा भवन, देहरादून ।
- 14- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड ।
- 15- समस्त अधिकारी एवं अनुभाग उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, ऊर्जा भवन, देहरादून ।
- 16- कार्यालय ज्ञापन पंजीक / कट फाईल ।


[शरद कृष्ण]
निदेशक(मा०सं०)



संख्या-13545-नि0(मा0सं0)/उपाकालि/ए0सी0पी0

दिनांक - 26/11/16

कार्यालय ज्ञापन

प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक-693/1(2)/2016-06(2)-2/2015 दिनांक 03.06.2016 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप एवं निदेशक मण्डल के सम्मेलन प्रस्तुत प्रस्ताव संख्या-75.31 में निदेशक मण्डल द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुपालन में कारपोरेशन कार्यालय ज्ञाप सं0 6303/नि0(मा0सं0)/उपाकालि/ समयबद्ध वेतनमान दिनांक 15-07-2013 के प्रस्तर-2(ख)(1) में ए0सी0पी0 की व्यवस्था में नॉन फन्क्शनल वेतनमान को समाप्त (Ignore) किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। (प्रत्येक संवर्ग में नॉन फन्क्शनल ग्रेड वेतन समाप्त किये जाने सम्बन्धी निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित तालिका संलग्न है)

इसके अतिरिक्त निदेशक मण्डल द्वारा प्रत्येक संवर्ग में नॉन फन्क्शनल ग्रेड वेतन समाप्त किये जाने की स्थिति में उत्पन्न होने वाली निम्न विषमताओं का निराकरण किये जाने का भी अनुमोदन प्रदान किया गया-

- 1- कारपोरेशन में लिपिक संवर्ग में कार्यालय सहायक-तृतीय से कार्यालय-द्वितीय के पद पर पदोन्नति के उपरान्त ग्रेड वेतन अपरिवर्तित अर्थात् रु0 2600 ही रहता है जबकि पदोन्नति न होने पर प्रथम ए0सी0पी0 के रूप में ग्रेड वेतन रु0 3000 देय होगा। इसी प्रकार कार्यालय सहायक-द्वितीय से कार्यालय सहायक-प्रथम/कार्यालय अधीक्षक-द्वितीय के पद पर पदोन्नति के उपरान्त ग्रेड वेतन रु0 3000 रहता है जबकि पदोन्नति न होने पर द्वितीय ए0सी0पी0 के रूप में ग्रेड वेतन रु0 4200 देय होगा। इसी प्रकार कार्यालय सहायक-प्रथम/कार्यालय अधीक्षक-द्वितीय से कार्यालय अधीक्षक-प्रथम के पद पर पदोन्नति के उपरान्त ग्रेड वेतन रु0 4200 रहता है जबकि पदोन्नति न होने पर तृतीय ए0सी0पी0 के रूप में ग्रेड वेतन रु0 5400 देय होगा।
- 2- यदि समान ग्रेड वेतन के पद पर पदोन्नति होती है तो कार्मिक की प्रथम ए0सी0पी0 समाप्त न समझी जाएगी अपितु पूर्व पद से ही 09 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पश्चात् उस प्रथम ए0सी0पी0 का लाभ अनुमन्य किया जाएगा इसी प्रकार समान ग्रेड वेतन में द्वितीय एवं तृतीय पदोन्नति होने के पश्चात् पूर्व पद से ही 05-05 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर कार्मिक को द्वितीय एवं तृतीय ए0सी0पी0 का लाभ उपरोक्तानुसार अनुमन्य किया जाएगा जिससे उक्त विषमता समाप्त हो जायेगी।
- 3- कारपोरेशन की कार्यआवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए निगम में सीधी भर्ती के इतर पदों(जैसे वरिष्ठ विधि अधिकारी/उपमहाप्रबन्धक/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी) पर नियुक्त कार्मिकों के सम्बन्ध में, पूर्ववर्ती उपप्रांज्य विद्युत परिषद द्वारा पूर्व में समयबद्ध वेतनमान की अनुमन्यता के सम्बन्ध में यथासमय प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप ए0सी0पी0 अनुमन्य किए जाने हेतु कार्यवाही की जायेगी।

अतः निदेशक मण्डल द्वारा पारित उपरोक्त व्यवस्था को ए0सी0पी0 की व्यवस्था में लागू किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की भ्रंति होने की स्थिति में उसका निराकरण किये जाने के पश्चात् ही कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

कारपोरेशन आदेश सं0 6303/नि0(मा0सं0)/उपाकालि/समयबद्ध वेतनमान दिनांक 15-07-2013 के अन्य प्राविधान यथावत् रहेंगे।

संलग्नक- (अनुलग्नक-1)

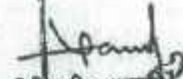
निदेशक मण्डल की आज्ञा से

अग्र 2

संख्या : 13525-नि0(मा0सं0)/उपाकालि/ए0सी0पी0, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- 1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव(ऊर्जा) एवं अध्यक्ष, उपाकालि, उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।
- 2- सीनियर एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, देहरादून को प्रबन्ध महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
- 3- निजी सचिव, समस्त निदेशक, उपाकालि, विक्टोरिया क्रॉस विजेता गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
- 4- कम्पनी सचिव व महाप्रबन्धक (विधिक), उपाकालि, वि0 क्र0 वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
- 5- समस्त मुख्य अभियन्ता(स्तर-1/2), उपाकालि,
- 6- समस्त महाप्रबन्धक(वित्त) उपाकालि, विक्टोरिया क्रॉस विजेता गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
- 7- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0पा0का0लि0,
- 8- उपमहाप्रबन्धक(औ0सं.एवंका0प्र0), उपाकालि, विक्टोरिया क्रॉस विजेता गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
- 9- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0पा0का0लि0,
- 10- अधिशासी अभियन्ता(मा0सं0)/लोक सूचनाधिकारी(मा0सं0), उपाकालि, वि0क्रा0वि0ग0 सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
- 11- अधिशासी अभियन्ता, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
- 12- कार्यालय ज्ञापन पंजिका/कट फाईल।


[पी0सी0 ध्यानी]
निदेशक(मा0सं0)



उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: hr@upcl.org, Website: www.upcl.org

संख्या

-नि०(मा०सं०)/उपाकालि/वित्तीय स्तरोन्यन(एसीपी)

दिनांक 16/03/2022

कार्यालय ज्ञापन

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड में कार्यरत कार्मिकों को उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या 12/1(2)/2021-06(2)-02/2015 टीसी-1, दिनांक 06.01.2022 के अनुक्रम में आदेश संख्या 6303-निदे०(मा०सं०)/उपाकालि/समयबद्ध वेतनमान, दि० 15.07.2013 के द्वारा 31.12.2016 तक लागू ए०सी०पी० की व्यवस्था को सातवें वेतनमान में सीधी भर्ती (इंडक्शन पोस्ट) की तिथि से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय क्रमशः 9 वर्ष, 14 वर्ष एवं 19 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर लागू वित्तीय स्तरोन्यन(एसीपी)(नॉन फंक्शनल वेतनमान की उपेक्षा करते हुए) की पूर्व व्यवस्था दिनांक 01.01.2017 से भी यथावत् अनुमन्य कराये जाने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि भविष्य में अर्थात् दिनांक 06.01.2022 के बाद नियुक्त होने वाले कार्मिकों पर यह व्यवस्था स्वतः लागू नहीं होगी।

तदनुसार कारपोरेशन के आदेश संख्या 6303-निदे०(मा०सं०)/उपाकालि/समयबद्ध वेतनमान, दिनांक 15.07.2013 एवं इसके अनुक्रम में निगम द्वारा जारी संगत समस्त आदेशों में उल्लेखित नियम एवं प्राविधान तथा अन्य आदेश/निर्देश एवं संशोधन सातवें वेतनमान (दि० 01.01.2017 से भी) में भी यथावत् लागू रहेंगे।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या 1033 -नि०(मा०सं०)/उपाकालि/वित्तीय स्तरोन्यन(एसीपी), तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, अध्यक्ष, उ०पा०का०लि०, उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय देहरादून।
- 2- निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ०पा०का०लि०, वि०क्रा०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
- 3- निजी सचिव, समस्त निदेशक, उ०पा०का०लि०, वि०क्रा०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
- 4- समस्त मुख्य अभियन्ता(वितरण), उ०पा०का०लि०,
- 5- समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक(वित्त/मा०सं०), उ०पा०का०लि०,
- 6- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०पा०का०लि०,
- 7- अधिशासी अभियन्ता(सू०प्रौ०), उ०पा०का०लि०, वि०क्रा०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 8- कट फाईल।

[Signature]
16.03.2022

[के०बी० चौधे]

महाप्रबन्धक(मा०सं०)

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. प्रबन्ध निदेशक,
उपाकालि, देहरादून।2. प्रबन्ध निदेशक,
पिटकुल, देहरादून।3. प्रबन्ध निदेशक,
यूजेवीएन लि0, देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 06 जनवरी, 2022

विषय:- ऊर्जा विभाग के नियंत्रणाधीन तीनों निगमों के कार्मिकों को दिनांक 01.01.2016 से सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के अनुरूप पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति प्रदान किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के क्रम में उल्लेख करना है कि शासनादेश संख्या 1199/1(2)/2017-05-34/2016, दिनांक 25 सितम्बर, 2017 द्वारा ऊर्जा विभाग के नियंत्रणाधीन तीनों निगमों के कार्मिकों को पूर्व में अनुमन्य समयबद्ध वेतनमान/ए0सी0पी0 की व्यवस्था को अतिक्रमिit करते हुए संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (एम0ए0सी0पी0एस0), वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-11/XXVI(7)30(14)/2017 दिनांक 17 फरवरी, 2017 में निहित प्राविधानों के अनुसार दिनांक 01.01.2017 से लागू की गयी थी। इसी अनुक्रम में शासनादेश संख्या-1585/1(2)/2017-05-34/2016, दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 द्वारा वेतन संरक्षण का लाभ भी प्रदान किया गया था।

2- उपरोक्त के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि के पत्र संख्या-1052/प्र0निदे0/उपाकालि/सातवां वेतन आयोग (एफ-2) दिनांक 10.02.2017, पत्र संख्या- 811/प्र0निदे0/उपाकालि/एफ-2 दिनांक 23.01.2019, प्रबंध निदेशक, पिटकुल के पत्र संख्या-203/मा0स0/प्र0नि0/अनु/पिटकुल/पी-3, दिनांक 16.02.2017, पत्र संख्या-1096/मा0स0एवंप्र0नि0/पिटकुल/पी-3, दिनांक 31.07.2019 तथा प्रबंध निदेशक, यूजेवीएनएल के पत्र संख्या-41/यूजेवीएनलि/प्र0नि0 दिनांक 14.02.2017, पत्र संख्या-5412/यूजेवीएनएल/प्र0नि0/शासन-6(डी), दिनांक 13.08.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा तीनों निगमों के निदेशक मण्डल से पारित वेतन बैंड एवं वेतन लेवल/पे-मैट्रिक्स अनुमन्य कराते हुए दिनांक 01.01.2016 से वर्तमान समय में कार्यरत तथा सेवानिवृत्त कार्मिकों की सेवा में प्रतिकूल परिवर्तन न किये जाने के दृष्टिगत दिनांक 31.12.2016 तक लागू ए0सी0पी0 की व्यवस्था सीधी भर्ती (Induction Post) की नियुक्ति तिथि से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय क्रमशः 09 वर्ष, 14 वर्ष एवं 19 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर पूर्व में प्रचलित व अनुमन्य पे-मैट्रिक्स में (नॉन फंक्शनल वेतनमान की उपेक्षा करते हुए) दिनांक 01.01.2017 से भी यथावत अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में इस प्रतिबन्ध के साथ उपलब्ध कराया गया है कि भविष्य में भर्ती होने वाले कार्मिकों के सम्बन्ध में यह व्यवस्था स्वतः लागू नहीं होगी।

3- अतः उपरोक्तानुसार तीनों निगमों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तीनों निगमों में शासनादेश संख्या-1199 दिनांक 25.09.2017 एवं शासनादेश संख्या-1585 दिनांक 22.12.2017 को एतद् द्वारा अतिक्रमिit करते हुए दिनांक 01.01.2016 से वर्तमान समय में

-2-

कार्यरत तथा सेवानिवृत्त कार्मिकों की सेवा में प्रतिकूल परिवर्तन न किये जाने के दृष्टिगत दिनांक 31.12.2016 तक लागू ए०सी०पी० की व्यवस्था सीधी भर्ती (Induction Post) की नियुक्ति तिथि से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय क्रमशः 09 वर्ष, 14 वर्ष एवं 19 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर पूर्व में प्रचलित व अनुमन्य पे-मैट्रिक्स में (नॉन फंक्शनल वेतनमान की उपेक्षा करते हुए) दिनांक 01.01.2017 से भी यथावत् अनुमन्य कराये जाने की एतद् द्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. निगमों के कार्मिकों को उक्त व्यवस्था अनुमन्य किये जाने पर वित्तीय व्ययभार निगमों द्वारा अपने संसाधनों से वहन किया जायेगा तथा इस हेतु शासन द्वारा किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी और निगमों द्वारा मित्तव्ययता सुनिश्चित करते हुए संसाधनों में वृद्धि सुनिश्चित की जायेगी।
2. निगमों में भविष्य में भर्ती होने वाले कार्मिकों के सम्बन्ध में यह व्यवस्था स्वतः लागू नहीं होगी।
3. निगमों द्वारा राज्य सरकार के प्रति वार्षिक देयता एवं इस आधार पर वर्तमान तक देय अवशेष भी शासन को दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
4. साथ ही शासनादेश संख्या-1585/1(2)/2017-05-34/2016, दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 के अनुपालन में किये गये वेतन निर्धारण से लाभ प्राप्त कर चुके कार्मिकों से कोई प्रत्यापति (Recovery) नहीं की जायेगी।

भवदीया,
(राधा रतूडी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- / 1(2)/2021-06(2)-02/2015 T.C.-1, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा० मंत्री, ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, विद्युत नियामक आयोग, देहरादून।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
9. समस्त कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. विभागीय आदेश पुस्तिका/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(प्रकाश चन्द्र जोशी)
उप सचिव।



उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: hr@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांक : 1034 -निदे०(मा०सं०)/उपाकालि/ वित्तीय स्तरोन्नयन(ए०सी०पी०)

दिनांक : 16/03/2022

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश संख्या 1199/1(2)/2017-05-34/2016, दिनांक 25.09.2017 एवं शासनादेश सं० 1585/1(2)/2017-05-34/2016, दिनांक 22.12.2017 के अनुक्रम में निगमादेश संख्या 13536-नि०(मा०सं०)/उपाकालि/7वां वे०आ० दिनांक 28.11.2017 के द्वारा सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप उपाकालि में अनुमन्य सातवें वेतनमान को शासनादेश संख्या-12/1(2)/2021-06(2)-02/2015 टीसी-1 दिनांक 06.01.2022 के द्वारा अतिक्रमित किये जाने एवं दिनांक 01.01.2016 से उपाकालि के आदेश सं०-14757-नि०(मा०सं०)/उपाकालि/7वां वे०आ० दिनांक 29.12.2017 के अनुसार पुनः सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति प्रदान किये जाने के फलस्वरूप वित्त विभाग (वे०आ०-सा०नि०) अनुभाग-7 की अधिसूचना संख्या-290/XXVII (7) 50(16)/2016, दिनांक 28.12.2016, शासनादेश संख्या 291/ XXVII(7) 30(8)/2016, दिनांक 29.12.2016 तथा शासनादेश सं० 165/ XXVII(7) 30(7)/2016, दिनांक 12.09.2017 के अनुक्रम में दिनांक 01.01.2016 को निगम की पूर्णकालिक सेवा में कार्यरत नियमित कार्मिकों(प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत नियमित कार्मिकों सहित) के वेतन निर्धारण तथा प्रक्रिया विषयक कार्यवाही संलग्न शासनादेश संख्या-12/1(2)/2021-06(2)-02/2015 टीसी-1 दिनांक 06.01.2022 के अनुसार संपादित की जायेगी।

2. शासनादेश संख्या 1585/1(2)/2017-05-34/2016, दिनांक 22.12.2017 के अनुपालन में किये गये वेतन निर्धारण से लाभ प्राप्त कर चुके कार्मिकों से शासनादेश सं० 12/1(2)/2021-06(2)-02/2015 टीसी-1 दिनांक 06.01.2022 के अनुसार दिनांक 06.01.2022 तक कोई प्रत्याप्ति (रिकवरी) नहीं की जायेगी।
3. उपाकालि के आदेश सं० 6303-नि०(मा०सं०)/उपाकालि/समयबद्ध वेतनमान दिनांक 15.07.2013 एवं 13525-नि०(मा०सं०)/उपाकालि/ए०सी०पी० दिनांक 26.11.2016 एवं आदेश सं० 13536-नि०(मा०सं०)/उपाकालि/7वां वे०आ० दिनांक 28.11.2017 के द्वारा दिनांक 31.12.2016 तक अनुमन्य ए०सी०पी० की पूर्व व्यवस्था दिनांक 01.01.2017 से सातवें वेतनमान में भी यथावत लागू रहेगी। दिनांक 06.01.2022 के बाद नियुक्त होने वाले कार्मिकों पर यह व्यवस्था स्वतः लागू नहीं होगी।
4. उपाकालि के आदेश सं०-8283-निदे०(मा०सं०)/उपाकालि दिनांक 12.08.2016 द्वारा अनुमन्य करायी गयी पदोन्नति का लाभ अगली वेतन वृद्धि की तिथि से लिये जाने संबंधी विकल्प की सुविधा सातवें वेतन आयोग में भी यथावत लागू रहेगी।
5. उपाकालि के आदेश सं०-2151-निदे०(मा०सं०)/उपाकालि/VI वेतन आयोग दिनांक 11.04.2011 द्वारा पदोन्नति पर वेतनवृद्धि संबंधी आदेश अग्रेतर यथावत लागू रहेगे।
6. उक्त आदेश के अनुसार अधिकारियों के वेतन निर्धारण एवं वेतन प्राधिकार जारी करने का कार्य केन्द्रीय वेतन एवं पेंशन भुगतान कार्यालय, देहरादून द्वारा किया जाएगा। कार्मिकों का वेतन निर्धारण सम्बन्धित इकाइयों द्वारा पूर्व की भांति किया जायेगा एवं वेतन निर्धारण की जांच केन्द्रीय वेतन एवं पेंशन भुगतान कार्यालय, देहरादून द्वारा की जाएगी।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक : 1034 -निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/ वित्तीय स्तरोन्नयन(ए0सी0पी0)/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, वि0क्रा0वि0ग0सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
3. निजी सचिव, निदेशक (वित्त/परिचालन/परियोजना/मा0सं0), विक्टोरिया क्रॉस विजेता गबर सिंह ऊर्जा भवन, उपाकालि, देहरादून।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता(वितरण), देहरादून/हरिद्वार/हल्द्वानी/रूद्रपुर।
5. समस्त उपमहाप्रबन्धक (वित्त)/अधीक्षक अभियन्ता, उपाकालि.....।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उपाकालि.....।
7. अधिशासी अभियन्ता(सू0प्रौ0), वि0क्रा0वि0 गबर सिंह भवन, ऊर्जा भवन देहरादून को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

Shubay
16.03.2022

(के0बी0 चौबे)
महाप्रबन्धक(मा0सं0)



उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: hr@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांक: ९६९ अधि०निदे०(मा०सं०)/उपाकालि/S-1/औ०सं०

दिनांक: 15/03/2024

कार्यालय-ज्ञाप

शासनादेश सं०-12/1(2)/2021-08(2)-02/2015-TC-1 दिनांक 08.01.2022 के अनुक्रम में कारपोरेशन आदेश सं०-1033 -नि०(मा०सं०)/उपाकालि/वित्तीय स्तरोन्नयन(एसीपी) दिनांक 16.03.2022 एवं कारपोरेशन आदेश सं०-1034 -निदे०(मा०सं०)/उपाकालि/ वित्तीय स्तरोन्नयन(ए०सी०पी०) दिनांक 16.03.2022 के क्रियान्वयन के उपरान्त कारपोरेशन के संज्ञान में लाया गया है कि वित्तीय स्तरोन्नयन की व्यवस्था में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में सीधी भर्ती वाले पद पर नियुक्ति/चयन के फलस्वरूप कार्मिकों को उन कार्मिकों की तुलना में, जो अपने संवर्ग में यथावत बने हुए हैं, से कम वेतन प्राप्त हो रहा है, जिससे कार्मिकों के वेतन में विसंगति उत्पन्न हो रही है। ऐसे कार्मिकों के तुलनात्मक वेतन हानि (Comparative loss of pay) के सन्दर्भ में तीनों ऊर्जा निगमों की गठित संयुक्त समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या/संस्तुति पर दिनांक 02.12.2023 को तीनों ऊर्जा निगमों के प्रबन्ध निदेशकों की आहूत संयुक्त बैठक में समयक विचारोपरान्त बनी सहमति के क्रम में पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के आदेश संख्या 153/का०वि०नि०/राविप-29/98-4(3)/पी-86 दिनांक 03.04.1998 तथा आदेश संख्या 404/का०वि०नि०/राविप-20/98-4-6(20)/पी-86 दिनांक 31.03.1998 में निहित प्राविधानों के परिपेक्ष्य के अनुक्रम में कारपोरेशन आदेश सं० 2809 /निदे०(मा०सं०)/उपाकालि/कार्मिक-A दिनांक 19.07.2008 एवं 13536 -नि०(मा०सं०)/उपाकालि/7वां वे०आ०, दिनांक 28.11.2017 के द्वारा पूर्व में आगमन बिन्दु (Induction Point) से समयबद्ध वेतनमान हेतु विकल्प की व्यवस्था को वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु लागू करते हुए एतद्वारा निम्नवत व्यवस्था निर्धारित की जाती है:-

- यदि किसी कार्मिक की सीधी भर्ती के पद पर नियुक्ति के उपरान्त अन्य संवर्ग के सीधी भर्ती वाले पद पर चयन प्रक्रिया के तहत पदोन्नति/नियुक्ति के फलस्वरूप आगमन बिन्दु (Induction Point) परिवर्तित होता है और उस परिवर्तित आगमन बिन्दु में समयावधि की गणना करने पर वित्तीय स्तरोन्नयन हेतु जो लाभ प्राप्त होता है वह पूर्व धारित पद की सेवा के सन्दर्भ में प्राप्त लाभ से कम है, तो ऐसी दशा में वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु संदर्भित कार्मिक को यह विकल्प प्रदान कर दिया जाये कि वह अंतिम सीधी भर्ती के पद अथवा पूर्व सीधी भर्ती के धारित पदों में से किसी एक को अंगीकार करे।
- उक्त विकल्प प्राप्त करने हेतु प्रभावित कार्मिक को अपने नियंत्रक अधिकारी (Controlling Officer) को प्रार्थना पत्र/प्रतिवेदन देना होगा। नियंत्रक अधिकारी को प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उसका यह दायित्व होगा कि वह प्रभावित कार्मिक के प्रतिवेदन का अपने स्तर से विधिवत परीक्षण कर सम्बन्धित क्षेत्र के उप मुख्यलेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी से विधीक्षा (Vetting) कराने के उपरान्त तथा प्रतिवेदन में दिये गये तथ्यों से संतुष्ट होने पर विकल्प की सुविधा प्रभावित कार्मिकों को उपलब्ध करायेगा तथा सक्षम समिति द्वारा विकल्प पत्र के अनुसार वित्तीय स्तरोन्नयन स्वीकृत कर दिया जायेगा।
- उक्त विकल्प अन्य संवर्ग में चयन प्रक्रिया के तहत पदोन्नति/नियुक्ति पर पद भार ग्रहण करने की तिथि से 90 दिन या इस आदेश के निर्गत होने के 90 दिन के अन्दर दिया जाना अनिवार्य होगा। केवल एक बार विकल्प दिये जाने की सुविधा प्रदान की जायेगी तथा एक बार दिये गये विकल्प को संशोधित/वापस नहीं लिया जायेगा। किसी भी दशा में दिये गये विकल्प के अनुसार किये गये वेतन निर्धारण को पुनः वापस नहीं लिया जा सकेगा। जिन कार्मिकों द्वारा निर्धारित अवधि में विकल्प नहीं दिया जायेगा, उनके सम्बन्ध में ए०सी०पी० की अनुमन्यता हेतु आगमन बिन्दु (Induction Point) सीधी भर्ती का अंतिम धारित पद होगा।
- आदेश के निर्गमन की तिथि से पूर्व का न तो कोई अवशेष देय होगा और न ही कोई प्रत्याप्ति (Recovery) की जायेगी।

संलग्नक - विकल्प-पत्र।

प्रबन्ध निदेशक

क्रमशः पृष्ठ-2 पर.

✍

पत्रांक: १६८ अधि०निदे०(मा०सं०)/उपाकालि/S-I/औ०सं०/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०।
2. स्टॉफ ऑफिसर-1, प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, वि०क्रा०वि०, गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
3. निदेशक (वित्त/परिचालन/परियोजना), उपाकालि, वि०क्रा०वि०, गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
4. अधिशासी निदेशक (तकनीकी), उपाकालि, वि०क्रा०वि०, गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर (1/2), उपाकालि.....।
6. समस्त उपमहाप्रबन्धक (वित्त)/अधीक्षक अभियन्ता/उप मुख्यलेखाधिकारी, उपाकालि.....।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उपाकालि.....।
- ✓ 8. अधिशासी अभियन्ता (सू०प्रौ०), उपाकालि, वि०क्रा०वि०, गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून को उपाकालि की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


 (आर० ज० मलिक)
 अधिशासी निदेशक (मा०सं०)

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं० १६८ दिनांक 15/03/2024
का विकल्प पत्र

मैं वर्तमान पद
जोकि वेतनमान में (कार्यालय का नाम)
में कार्यरत हूँ घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं समयबद्ध वेतनमान की स्वीकृति हेतु :-

1. पूर्ववर्ती उ०प्र०रा०वि०प० के आदेश सं० दिनांक
में निहित प्राविधानों के परिपेक्ष्य में समयबद्ध वेतनमान की स्वीकृति हेतु पूर्व संवर्ग के पूर्व धारित पद
..... दिनांक से अपना विकल्प चुनता/चुनती हूँ। मैं स्पष्ट
रूप से समझता/समझती हूँ कि पूर्व संवर्ग के पूर्व धारित पद से समयबद्ध वेतनमान का विकल्प चुनने के
फलस्वरूप मुझे नवीन संवर्ग के नवीन पद से समयबद्ध वेतनमान का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

अथवा

नवीन संवर्ग के सीधी भर्ती के फलस्वरूप धारित पद दिनांक
से अपना विकल्प चुनता/चुनती हूँ।
(जो प्रयोज्य न हो उसे काट दें)

2. मैं स्पष्ट रूप से समझता/समझती हूँ कि उक्त विकल्प अन्तिम(Final) व अप्रतिसहाय(irrevocable) होगा तथा
किसी भी दशा में वापस नहीं लिया जा सकता है -

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये

भवदीय,

(1) हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
पूरा नाम	पूरा नाम
पदनाम	पदनाम
कार्यालय	कार्यालय
दिनांक	दिनांक

(2) हस्ताक्षर

पूरा नाम

पदनाम

कार्यालय

दिनांक

प्रतिहस्ताक्षर

(नियंत्रक अधिकारी के हस्ताक्षर व मोहर)
दिनांक -